न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0
37/22

तारीख दायरा
28.02.2022

तारीख फैसला
19.09.2022

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

1. जानकीबाई उर्फ इन्द्रबाई पुत्री श्री बद्रीलाल पत्नी बद्रीलाल जाति कोली निवासी बडौद हाल मुकाम मुक्तिनाद नगर, कमालखेडी वार्ड नम्बर 11 श्योपुर जिला श्योपुर म0प्र0

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री सुरेन्द्र दाधिच एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

--: निर्णय :--

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :--

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 410 में खसरा नम्बर 959 रकबा 0.42 है0 भूमि स्थित है। यह कि उक्त आराजी वादिया के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/6 भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्रबाई पुत्री बद्रीलाल जाति कोली सा0 देह खाते दर्ज है। जबकि वादी का सही नाम जानकी बाई है। वादी का नाम इन्द्रबाई (बोलता नाम) राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी का नाम अन्य सभी दस्तावेजों अधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड , वोटर आई.डी. आदि में जानकी बाई है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्रबाई नाम दर्ज होने से वादी को कई परेशानियॉ हो रही है तथा सरकारी योजनाओं में लाभान्वित होने में समस्या उत्पन्न हो रही है। इस कारण रिकॉर्ड दुरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 410 में खसरा नम्बर 959 रकबा 0.42 है0 भूमि की हाल जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम इन्द्रबाई पुत्री बद्रीलाल के स्थान पर जानकीबाई उर्फ इन्द्रबाई पुत्री बद्रीलाल नाम दर्ज किया जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में इन्द्रबाई पुत्री बद्रीलाल के स्थान पर जानकी बाई पुत्री बद्रीलाल किये जाने की अनुशषा की गयी है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडौद तहसील दीगोद में खाता संख्या 410 में खसरा नम्बर 959 रकबा 0.42 है0 भूमि में वादी का नाम इन्द्रबाई पुत्री बद्रीलाल के स्थान पर जानकीबाई पुत्री बद्रीलाल किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिकी जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)